केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
(शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संगठन)

CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION
(An Autonomous Organisation under the Ministry of Education, Govt. of India)

सीबीएसई/समन्वय/प्राइवेट प्रैक्टिकल/2026/ई-63685 **दिनांक 16.02.2026**

सेवा में,
प्रधानाचार्य / प्रमुख
सीबीएसई से संबद्ध विद्यालय
(सीबीएसई वेबसाइट के माध्यम से)

विषय: पाइवेट छात्रों (2025-2026) के संबंध में प्रैक्टिकल परीक्षाओं के संचालन हेतु दिशा-निर्देश।

परीक्षा उप-नियमों में निहित प्रावधानों और आवश्यकता के अनुसार, कक्षा XII के प्राइवेट छात्रों की निम्नलिखित श्रेणियों के लिए प्रैक्टिकल परीक्षाएं आयोजित किया जाना आवश्यक है:

1. 2025 के छात्र जिनके प्रैक्टिकल विषय (विषयों) के अंक प्रैक्टिकल (आरपी)/थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रिपीट (आरबी)/अनुपस्थित के कारण उपलब्ध नहीं हैं।
2. 2024 के छात्र जिनके प्रैक्टिकल विषय (विषयों) के अंक प्रैक्टिकल (आरपी)/थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों में रिपीट (आरबी)/अनुपस्थित के कारण उपलब्ध नहीं हैं।
3. 2023 और उससे पहले के छात्र, जिन्होंने अपने संबंधित प्रैक्टिकल विषय (विषयों) में प्राइवेट श्रेणी में पूर्ण विषयों में आवेदन किया है।

प्रैक्टिकल अवयव नहीं रखने वाले विषयों के संबंध में कोई प्रोजेक्ट मूल्यांकन/आंतरिक मूल्यांकन आयोजित नहीं किया जाएगा। प्रोजेक्ट मूल्यांकन/आंतरिक मूल्यांकन के अंक, वर्तमान परीक्षा अर्थात 2026 में सैद्धांतिक परीक्षा में प्राप्त अंकों के आनुपातिक आधार पर, गणना की जाएगी।

आगामी आवश्यक कार्रवाई के लिए सभी संबंधितों द्वारा निम्नलिखित पर ध्यान दिया जाए:

- प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की तिथियाँ

प्रैक्टिकल परीक्षाएँ 23 फरवरी 2026 से 17 मार्च 2026 तक आयोजित की जाएँगी।

- प्रैक्टिकल परीक्षाओं का स्थान

प्रैक्टिकल परीक्षाएं सैद्धांतिक परीक्षाओं के लिए निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएंगी।

- बोर्ड द्वारा बाहय परीक्षक की नियुक्ति

क्षेत्रीय निदेशक/अधिकारी कक्षा-XII के सभी छात्रों के लिए बाहय परीक्षकों की नियुक्ति करेंगे। आंतरिक परीक्षकों की नियुक्ति केंद्र अधीक्षक द्वारा उनके अपने ही विद्यालय के शिक्षकों में से की जाएगी। यदि परीक्षा केंद्र वाले विद्यालय में किसी भी विषय के लिए आंतरिक परीक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने हेतु शिक्षक उपलब्ध नहीं हैं, तो आस-पास के विद्यालयों से शिक्षकों को नियुक्त किया जाएगा।

- प्रैक्टिकल के लिए उत्तर पुस्तिकाएँ

क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा आपूर्ति की गई प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तकों का उपयोग प्रैक्टिकल परीक्षा के संचालन के लिए किया जाना है। यह सुनिश्चित किया जाना है कि परीक्षक प्रैक्टिकल उत्तर पुस्तकों में सभी प्रविष्टियों को सावधानीपूर्वक और सही ढंग से पूरा करें।

- अंक अपलोड करना

प्रैक्टिकल परीक्षा के आयोजन के बाद, केंद्र उन प्राइवेट छात्रों के संबंध में अंक अपलोड करेंगे जिनके प्रैक्टिकल उसी केंद्र पर आयोजित किए गए हैं। प्रैक्टिकल परीक्षा के दिन आंतरिक और बाहरी परीक्षाओं के हस्ताक्षर के बाद अवार्ड सूची को उसी तरह अपलोड किया जाएगा जैसा कि एसओपी और प्रैक्टिकल परीक्षा के आयोजन के लिए दिशानिर्देश के परिशिष्ट-II (पृष्ठ 9-10) के खंड 10, 11, 12 और 13 में स्पष्ट किया है जो परिपत्र संख्या सीबीएसई/समन्वय/मुख्य प्रैक्टिकल/2025 -26 ई-फाइल 163685 दिनांक 01/12/2025 के माध्यम से जारी किए गए हैं।

केंद्र पर आवंटित प्राइवेट छात्रों की सूची केंद्र/स्कूल लॉग-इन खाते में दिखाई देगी। केंद्र/स्कूल अपने लॉग-इन खातों से अंक अपलोड कर सकते हैं।

- छात्रों/परीक्षार्थियों द्वारा कार्रवाई

छात्र/परीक्षार्थी अपने पिछले परिणाम/अंक-तालिका और वर्तमान परीक्षा, अर्थात् 2026 के प्रवेश-पत्र की एक प्रति के साथ अपने परीक्षा केंद्रों से संपर्क करेंगे।

छात्र/परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र द्वारा दी गई प्रैक्टिकल परीक्षा की तारीख और समय को नोट करेंगे और प्रैक्टिकल परीक्षा के लिए समय पर परीक्षा केंद्र पर रिपोर्ट करेंगे।

- परीक्षा केंद्रों द्वारा कार्रवाई

1. परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक उन सभी छात्रों की सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएँ आयोजित की जानी हैं, कक्षा-वार और विषय-वार।
2. परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक को जहां भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति के लिए क्षेत्रीय कार्यालय से पहले से संपर्क करेंगे।
3. किसी भी परिस्थिति में परीक्षा केंद्र के केंद्र अधीक्षक अपने स्तर पर बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति नहीं करेंगे।
4. बाह्य परीक्षकों की उपलब्धता, परीक्षार्थियों की सुविधा और डेट शीट को ध्यान में रखते हुए प्रैक्टिकल परीक्षाओं की तारीख और समय तय किया जाएगा।
5. छात्रों/परीक्षार्थियों को परीक्षाओं के आयोजन की तिथियों और समय के बारे में काफी पहले से सूचित कर दिया जाएगा।
6. क्षेत्रीय अधिकारियों को प्रैक्टिकल परीक्षाओं के आयोजन की योजना के बारे में सूचित किया जाएगा।

- क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा कार्रवाई

1. क्षेत्रीय कार्यालय उन सभी छात्रों की केंद्रवार और विषयवार सूची तैयार करेंगे जिनकी प्रैक्टिकल परीक्षाएँ आयोजित की जानी हैं।

2. क्षेत्रीय कार्यालय छात्रों को उनकी लंबित प्रैक्टिकल परीक्षाओं के बारे में भी सूचित करेगा।
3. क्षेत्रीय कार्यालय, जहाँ भी आवश्यक हो, बाह्य परीक्षकों की नियुक्ति काफी पहले ही कर देंगे।
4. क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रैक्टिकल परीक्षाओं का समय पर समापन हो, अंकों को अपलोड किया जाए और प्रैक्टिकल उत्तर-पुस्तिकाएँ क्षेत्रीय कार्यालय में प्राप्त हों।
5. क्षेत्रीय कार्यालय यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्रों के अंक अंतिम तिथि तक बोर्ड के पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएं।

ह/-
(डॉ. संयम भारद्वाज)
परीक्षा नियंत्रक

प्रतिलिपि:

1. सीबीएसई के सभी क्षेत्रीय निदेशकों/ क्षेत्रीय अधिकारियों से अनुरोध है कि वे उल्लिखित दिशानिर्देशों के अनुसार तैयारियाँ करें।
2. वेब एडमिन से अनुरोध है कि वे इस परिपत्र को सीबीएसई वेबसाइट पर अपलोड करें।
3. मीडिया और जनसंपर्क, सीबीएसई, उचित प्रसार एवं प्रचार हेतु।